

समाज कल्याण विभाग  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
जीएलएनएस कॉम्प्लेक्स, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-110002  
(प्रश्न शाखा)

फा.स.59.(64)/स.क.वि./पी.आर.ओ./वि.स.प्र./2021-22/22529

दिनांक: 25 MAR 2022

सेवा में

श्रीमान उप-सचिव (प्रश्न शाखा)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

दिल्ली-110054

विषय- अतारांकित प्रश्न संख्या- 187 दिनांक 29 मार्च, 2022

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में दिल्ली विधान सभा से प्राप्त ई-मेल दिनांक 21.03.2022 जो कि इस विभाग से संबंधित है।

अतः सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपरांत उत्तर प्रेषित किए जाते हैं।

भवदीय

नीलम वैकराचलम

उप-निदेशक (लिटीगेशन)

नोडल ऑफिसर(प्रश्न शाखा)

संलग्न-उपरोक्तानुसार

फा.स.59.(64)/स.क.वि./पी.आर.ओ./वि.स.प्र./2021-22

दिनांक:

1.निदेशक, सूचना एवं प्रसार निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली-1100054.

2.सचिव, माननीय मंत्री (समाज कल्याण), दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली-110002

नीलम वैकराचलम

उप-निदेशक (लिटीगेशन)


नोडल ऑफिसर(प्रश्न शाखा)

समाज कल्याण विभाग  
मूक एवं बधिर विद्यालय परिसर  
दिल्ली गेट, नई दिल्ली-110002

अतारांकित प्रश्न संख्या - 187  
दिनांक - 29/03/2022  
प्रश्नकर्ता - श्री अखिलेश पति त्रिपाठी

क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

	प्रश्न	उत्तर																								
(क)	मॉडल टाऊन विधानसभा में वर्तमान विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन लड़की की शादी के लिए अनुदान राशि, तलाकशुदा पेंशन एवं आर्थिक सहायता की पेंशन दी गयी या दी जा रही है, इन सबकी पूर्ण जानकारी दी जाए,	मॉडल टाऊन विधानसभा में वर्तमान में दी जा रही विकलांग, वृद्धावस्था पेंशन का ब्यौरा निम्न प्रकार है- <table border="1"> <thead> <tr> <th>योजना</th> <th>कुल लाभार्थी (माह फरवरी 2022 तक)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>विधवा पेंशन</td> <td>2428</td> </tr> <tr> <td>दिव्यांग आर्थिक सहायता</td> <td>760</td> </tr> <tr> <td>वृद्धावस्था आर्थिक सहायता</td> <td>3450</td> </tr> <tr> <td>लड़की की शादी के लिये आर्थिक सहायता</td> <td>85 (2017 से अब तक)</td> </tr> </tbody> </table>	योजना	कुल लाभार्थी (माह फरवरी 2022 तक)	विधवा पेंशन	2428	दिव्यांग आर्थिक सहायता	760	वृद्धावस्था आर्थिक सहायता	3450	लड़की की शादी के लिये आर्थिक सहायता	85 (2017 से अब तक)														
योजना	कुल लाभार्थी (माह फरवरी 2022 तक)																									
विधवा पेंशन	2428																									
दिव्यांग आर्थिक सहायता	760																									
वृद्धावस्था आर्थिक सहायता	3450																									
लड़की की शादी के लिये आर्थिक सहायता	85 (2017 से अब तक)																									
(ख)	मॉडल टाऊन विधानसभा में 01.01.2015 से अब तक ऑनलाइन के माध्यम से विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, लड़की की शादी के लिए अनुदान राशि, तलाकशुदा पेंशन एवं आर्थिक सहायता के लिए अनुदान राशि के आवेदन प्राप्त हुए, कितने पास किए गये, कितने कॉसिल किए गए, जो आवेदन निरस्त किए गए उनका कारण बताते हुए पूर्ण सूची नाम, पता एवं मोबाइल नंबर के साथ उपलब्ध कराएं,	वृद्धावस्था पेंशन व विकलांग पेंशन के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया फरवरी 2017 से प्रारम्भ हुई। अतः मॉडल टाऊन विधानसभा में वर्ष 2017 से अब तक ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त/पास/निरस्त किये गये आवेदनों का ब्यौरा निम्न प्रकार है - <table border="1"> <thead> <tr> <th>योजना</th> <th>प्राप्त आवेदन</th> <th>स्वीकृत आवेदन</th> <th>निरस्त आवेदन</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>वृद्धावस्था आर्थिक सहायता</td> <td>1704</td> <td>1457</td> <td>170</td> </tr> <tr> <td>दिव्यांग आर्थिक सहायता</td> <td>433</td> <td>306</td> <td>94</td> </tr> </tbody> </table> <p>महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिसम्बर 2018 से विधवा पेंशन ऑनलाइन हुई है। ऑनलाइन होने की तिथि से आज तक मॉडल टाऊन विधान सभा में कुल 1233 आवेदन प्राप्त हुये है जिनमें से 681 स्वीकृत किये गये तथा 380 निरस्त किये गये। आवेदन विभिन्न कारणों से निरस्त किये गये हैं जैसे कि आवास प्रमाण पत्र न देना, दस्तावेजों की जाँच के लिये जिला कार्यालय द्वारा बुलाये जाने पर भी प्रस्तुत न होना इत्यादि। सूची से संबंधित जानकारी संवेदनशील होने के कारण यदि माननीय सदस्य व्यक्तिगत रूप से चाहे तो पूर्ण जानकारी दी जा सकती है।</p>	योजना	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	निरस्त आवेदन	वृद्धावस्था आर्थिक सहायता	1704	1457	170	दिव्यांग आर्थिक सहायता	433	306	94												
योजना	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	निरस्त आवेदन																							
वृद्धावस्था आर्थिक सहायता	1704	1457	170																							
दिव्यांग आर्थिक सहायता	433	306	94																							
(ग)	मॉडल टाऊन विधानसभा में उपरोक्त पेंशनों की समस्या के समाधान हेतु कौन कौन से अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं, उनके नाम, पद, एवं मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएं,	जिला समाज कल्याण कार्यालय (उत्तर-पश्चिम -2) में अधिकारी/कर्मचारियों का ब्यौरा निम्न प्रकार है- <table border="1"> <thead> <tr> <th>नाम</th> <th>पदनाम</th> <th>दूरभाष</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>श्री धर्मेन्द्र प्रसाद</td> <td>जिला समाज कल्याण अधिकारी(Link Officer)</td> <td>9818184564</td> </tr> <tr> <td>श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव</td> <td>अधीक्षक</td> <td>9721194449</td> </tr> <tr> <td>कुमारी शारदा</td> <td>कल्याण अधिकारी</td> <td>9990158297</td> </tr> <tr> <td>श्री अश्विनी कुमार</td> <td>कल्याण अधिकारी</td> <td>9811252244</td> </tr> <tr> <td>श्री प्रमोद कुमार</td> <td>डाटा एन्ट्री ऑपरेटर</td> <td>9868707208</td> </tr> <tr> <td>श्री विजय शर्मा</td> <td>डाटा एन्ट्री ऑपरेटर</td> <td>9910641706</td> </tr> <tr> <td>श्रीमती नीता</td> <td>डाटा एन्ट्री ऑपरेटर</td> <td>9910796870</td> </tr> </tbody> </table>	नाम	पदनाम	दूरभाष	श्री धर्मेन्द्र प्रसाद	जिला समाज कल्याण अधिकारी(Link Officer)	9818184564	श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव	अधीक्षक	9721194449	कुमारी शारदा	कल्याण अधिकारी	9990158297	श्री अश्विनी कुमार	कल्याण अधिकारी	9811252244	श्री प्रमोद कुमार	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	9868707208	श्री विजय शर्मा	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	9910641706	श्रीमती नीता	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	9910796870
नाम	पदनाम	दूरभाष																								
श्री धर्मेन्द्र प्रसाद	जिला समाज कल्याण अधिकारी(Link Officer)	9818184564																								
श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव	अधीक्षक	9721194449																								
कुमारी शारदा	कल्याण अधिकारी	9990158297																								
श्री अश्विनी कुमार	कल्याण अधिकारी	9811252244																								
श्री प्रमोद कुमार	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	9868707208																								
श्री विजय शर्मा	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	9910641706																								
श्रीमती नीता	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	9910796870																								

  
Dy. Director (FAS)  
Dept of Social Welfare,  
Govt. of N.C.T. of Delhi  
G.L.N.S. Complex, Delhi Gate,  
New Delhi-110002

		महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मॉडल टाऊन विधानसभा में उपरोक्त पेशनों के समस्या के समाधान हेतु जिला कार्यालय में जिला अधिकारी के साथ-साथ मुख्यालय में उप-निदेशक (आर्थिक सहायता अनुभाग) तथा निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार के निर्देशन में सक्षम कर्मचारियों की टीम (Team) कार्यशील है।
(घ)	क्या उपरोक्त संबंध में विधानसभा वाईज कोई कॉऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं,	जी नहीं।
(ङ)	अगर हाँ, तो सूची उपलब्ध कराएं,	उपरोक्त (घ) के अनुसार।
(च)	मॉडल टाऊन विधानसभा में ऐसे कितने आवेदक हैं जिनके आवेदन के स्वीकृति के पश्चात भी अभी तक पेंशन मिलनी शुरू नहीं हुई है,	समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत मॉडल टाऊन विधानसभा में वृद्धावस्था के कुल 50 एवं दिव्यांग पेंशन के कुल 59 ऐसे आवेदक हैं जिनके आवेदन के स्वीकृति के पश्चात भी अभी तक पेंशन मिलनी शुरू नहीं हुई है।  महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधवा पेंशन के संदर्भ में ऐसा कोई भी आवेदन नहीं है। आवेदन स्वीकृत होने के अगले माह से पेंशन का भुगतान लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में किया जाता है।
(छ)	आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात भी आवेदक के महीनों/सालों तक पेंशन मिलने का इंतजार करते रहने के क्या कारण हैं तथा इसके लिए कौन जिम्मेदार है, और	समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही वृद्धावस्था/विकलांग पेंशन योजना के अन्तर्गत आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात भी आवेदक को पेंशन न मिलने के निम्न कारण हैं— 1) लाभार्थी का आधार बैंक खाता से लिंक न होने के कारण PFMS पर validate न होना। 2) लाभार्थियों के जीवित होने एवं उनके निवास के सत्यापन न होने के कारण।  महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधवा पेंशन के अन्तर्गत ऐसा नहीं होता है, जो भी आवेदन दस्तावेजों के मामले में पूर्ण पाये जाते हैं उनको समयानुसार स्वीकृत कर दिया जाता है।
(ज)	उपरोक्त पेंशनों के संदर्भ में मुखर्जी नगर कार्यालय में आवेदकों के साथ कर्मचारियों द्वारा लगातार दूर्यवहार की शिकायतों के संबंध में विभाग के द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है, पूर्ण विवरण दें?	मुखर्जी नगर में समाज कल्याण विभाग का कोई जिला कार्यालय नहीं है। महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुखर्जी नगर, महिला एवं बाल विकास जिला कार्यालय में जिस भी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत यदि आती है तो नियमानुसार उचित कार्यवाही की जाती है।



**Dy. Director (FAS)**  
**Deptt of Social Welfare**  
**Govt. of N.C.T. of Delhi**  
**G.L.N.S. Complex, Delhi Gate**  
**New Delhi-110002**